

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च 2022—फाल्गुन 20, शक 1943

## भाग 3 (1)

### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

मुझे दो नामों अब्दुल रज्जाक कुरैशी व मो. अल्ताफ कुरैशी से पुकारा जाता है परंतु मेरा सही नाम जो कि मेरे आधार व अन्य दस्तावेजों में अब्दुल रज्जाक कुरैशी है इसलिये मैं घोषणा करता हूँ कि भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अब्दुल रज्जाक कुरैशी के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाये.

पुराना नाम

(मो. अल्ताफ कुरैशी)

नया नाम

(अब्दुल रज्जाक कुरैशी)

आ. स्व. श्री अब्दुल समद कुरैशी,  
निवासी— म.नं. 23, फायर बिग्रेड,  
स्ट्रीट फतेहगढ़, भोपाल.

(G-356)

#### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम भँवरीबेन गाँधी (BHANWARI BEN GANDHI) पत्नी श्री रणजीत कुमार गाँधी है, जो मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड पर भी अंकित है, किन्तु मेरी बैंक पास बुक पर त्रुटिवश मेरा बोलता नाम सुमन बेन (SUMAN BEN) दर्ज हो गया था. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम भँवरीबेन गाँधी (BHANWARI BEN GANDHI) पत्नी श्री रणजीत कुमार गाँधी के नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम

(सुमन बेन)  
(SUMAN BEN)

नया नाम

(भँवरीबेन गाँधी)  
(BHANWARI BEN GANDHI)  
पत्नी— श्री रणजीत कुमार गाँधी,  
पता— सुर्यदर्शन अपार्टमेन्ट,  
8/16, महेश नगर, इंदौर (म.प्र.)

(G-357)

### नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मैं AMBIKESHWAR GAUTAM पिता स्व. श्री रमाकांत गौतम, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी—महाराणा प्रताप वार्ड, आर.एस. मेमोरियल स्कूल के पास, झिंझरी, तहसील व जिला कटनी (म.प्र.) यह शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैं उपरोक्त पते का स्थाई निवासी हूँ, मेरे द्वारा वर्ष 2010 में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की गई थी, जिसमें मेरा नाम AMBIKESHWAR PRASAD GAUTAM दर्ज है तथा वर्तमान में मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम AMBIKESHWAR GAUTAM दर्ज है जो सत्य व सही है यह कि अब मेरी कक्षा 10वीं की मार्कशीट में मेरा नाम सुधार कर सही नाम AMBIKESHWAR GAUTAM दर्ज किया जावे. अस्तु यह सूचना सर्वसाधारण है.

पुराना नाम

(AMBIKESHWAR PRASAD GAUTAM)

(G-358)

नया नाम

(AMBIKESHWAR GAUTAM)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं सलमा खान (Salma Khan D/o Chote Khan) पुत्री श्री छोटे खान का नाम 5वीं, 8वीं, 10वीं एवं बी.ए. स्नातक की अंकसूची में मेरा नाम सलमा बी मेरे पिता का नाम छोटे खां/छोटे लाल (Salma Bee D/o Chote Kha/Chote Lal) हो गया है, जिसको अब सलमा खान पिता छोटे खान के नाम से जाना व पहचाना जावे, यही मेरा सही नाम है.

पुराना नाम

(सलमा बी पुत्री छोटे खां/छोटे लाल)  
(Salma Bee D/o Chote Kha/Chote Lal)

(G-359)

नया नाम

(सलमा खान पुत्री छोटे खान)  
(Salma Khan D/o Chote Khan)  
निवासी— मकान नं. 15K पिपलिया, पेंदे खाँ,  
साकेत नगर, एम्स, भोपाल.

### नाम परिवर्तन

मैं, SHAKEEL SIFAT KHAN S/O SUBHAN AKBAR KHAN निवासी— 145, हाउसिंग बोर्ड चौराहा, बैरसिया रोड, करोंद, भोपाल का हूँ. यह कि मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम SIFAT, SHAKEEL KHAN, SHAKEEL AHMAD, HAZI SHAKEEL AHMAD दर्ज हो गया है. जहां कहीं भी मेरे नाम SIFAT, SHAKEEL KHAN, SHAKEEL AHMAD, HAZI SHAKEEL AHMAD दर्ज है. उसके स्थान पर SHAKEEL SIFAT KHAN पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम

(SIFAT, SHAKEEL KHAN,  
SHAKEELAHMAD,  
HAZI SHAKEELAHMAD)

(G-360)

नया नाम

(SHAKEEL SIFAT KHAN)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम निशा गुप्ता पुत्री श्री विनोद कुमार था, विवाह आशीष कुमार गुप्ता से होने के पश्चात् ससुराल में मुझे प्यार से शिखा के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है, निशा गुप्ता एवं शिखा दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. अब मुझे भविष्य में शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में निशा गुप्ता नाम से ही जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम

(शिखा)

पुत्री श्री विनोद कुमार

(G-361)

नया नाम

(निशा गुप्ता)

निवासी— 16 बी, तरुण विहार कॉलोनी,  
नियर नई जीवाजी नगर, ठाठीपुर, ग्वालियर (म.प्र.).

**उप-नाम परिवर्तन**

मैं, अजय टेम्भरे पिता नारायणसिंह टेम्भरे जाति पवार के नाम से वर्तमान में जाना जाता हूँ मैं वन विभाग में वनरक्षक के पद पर पदस्थ हूँ मेरे शासकीय अभिलेखों में भी इसी नाम से मुझे जाना जाता है परंतु मैं अपना कुल नाम परिवर्तित कर रहा हूँ तथा अपने कुल नाम टेम्भरे के स्थान पर पवार कर रहा हूँ भविष्य में मुझे अजय पवार के नाम से जाना जावे एवं मेरी पत्नी एवं मेरे बच्चों के कुल नाम (सरनेम) पवार के नाम से जाना जावे. इस हेतु यह जाहिर सूचना को प्रकाशित किया जा रहा है.

(अजय पवार पिता नारायणसिंह पवार)  
निवासी- चंदर सराफ की बाड़ी, वार्ड नंबर 16,  
सरदार वल्लभ भाई पटेल, हरदा,  
तहसील व जिला हरदा.

(G-362)

**CHANGE OF NAME**

It is informed to the general public that I had got a publication published in the Gazette to change my name. Which was published on 14/01/2022 in Part 3 of the Madhya Pradesh Gazette. My name has been wrongly published in it. Like Komal Chuch in place of Komal Chugh. Correct matter is...

I was known as Komal satish kumar. I have changed my name to Komal Chugh. Henceforth I shall be known as Komal Chugh for all future purposes.

Old Name

**(KOMAL SATISH KUMAR)**

(G-363)

New Name

**(KOMAL CHUGH)****नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र विवेक गुलाटी के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम भूलवश संत गुलाटी हो गया है जबकि मेरा वास्तविक व सही नाम संत कुमार गुलाटी है जो सत्य व सही है.

पुराना नाम

**(संत गुलाटी)**

(G-364)

नया नाम

**(संत कुमार गुलाटी)****जाहिर सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म होटल पुखराज क्लब एण्ड रिसोर्ट पता- ग्राम कराडिया, पोस्ट नवा खेडा, उज्जैन (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 07-33-01-0014-19, दिनांक 10-05-2019 है. जिसमें दिनांक 16-04-2021 को श्री संजय जी गर्ग पिता श्री रमेशचन्द्र जी गर्ग, पता- 25, अग्रसेन नगर, मंगल कॉलोनी, सेठी नगर के पास, उज्जैन, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.) भागीदार का स्वर्गवास हो गया है. वर्तमान में इस फर्म होटल पुखराज क्लब एण्ड रिसोर्ट में निम्न भागीदार रह गये हैं.

फर्म होटल पुखराज क्लब एण्ड रिसोर्ट

- (1) कविता गर्ग,
- (2) राहुल गर्ग,
- (3) साक्षी गर्ग,  
(पार्टनर्स).

(G-365)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मेसर्स सुन्दरम इण्डस्ट्रीज, 01, प्रतापगंज, सेंधवा जिला बड़वानी (म.प्र.) फ़ैक्ट्री गुड नंबर 67, बीड रोड, दोनगांव, तालुका अंबड महाराष्ट्र पंजीयन क्रमांक 03-31-01-00106-07 सन् 2007-08, दिनांक 27 सितम्बर, 2007 से फर्मों के रजिस्ट्रार, इन्दौर संभाग इन्दौर में पंजीकृत है. पूर्व में 3. भागीदार- 1. श्री हर्ष वर्धन S/O दीपक कुमार अग्रवाल, 2. श्री यश वर्धन S/O सुनील कुमार अग्रवाल, 3. श्री जय वर्धन S/O वल्लभ दास अग्रवाल, कार्य संचालित कर रहे थे जिनमें से श्री हर्ष वर्धन S/O दीपक कुमार अग्रवाल दिनांक 01-09-2020 को स्वयं की इच्छा से भागीदार फर्म से निवृत्त हो रहे हैं. इसलिए उन्हें दिनांक 01-09-2020 से इस फर्म की भागीदारी से निवृत्त माना जाय.

किसी को इस संदर्भ में कोई आपत्ति हो तो 16 दिनों में सूचित करें।

फर्म मेसर्स सुन्दरम इण्डस्ट्रीज  
जयवर्धन अग्रवाल  
(भागीदार).

(G-366)

### जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म ISH KRIPA DEVELOPERS पता 09, Opium Godown Road, Mandsaur (M.P.) पंजीयन क्रमांक 07-35-01-0078-17 दिनांक 4-1-2017 है जिसमें दिनांक 27-11-2021 को श्री सत्यनारायण गर्ग पिता श्री सालीग्राम जी गर्ग पता 07, डोडी गली, जनकपुरा, मन्दसौर, तहसील मन्दसौर, जिला मन्दसौर (म.प्र.) भागीदार का स्वर्गवास हो गया है. तथा जिसमें दिनांक 28-11-2021 को श्री रमेशचन्द्र गर्ग पिता स्व. श्री सत्यनारायण जी गर्ग, पता 09, सत्य साईं कॉलोनी, हजारी नगर के पास, मन्दसौर, तहसील मन्दसौर, जिला मन्दसौर (म.प्र.) को नये भागीदार के रूप में फर्म ISH KRIPA DEVELOPERS पता 09, Opium Godown Road, Mandsaur (M.P.) में प्रवेश हुआ है. वर्तमान में इस फर्म ISH KRIPA DEVELOPERS में निम्नानुसार भागीदार रह गये हैं.

1. Akshay Garg
2. Sanjay Jain
3. Abhinandan Bhachawat
4. Rameshchandra Garg  
(PARTNERS).

(G-367)

### जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री वासुदेव इण्डस्ट्रीज, खसरा नं. 109 ग्राम मोहम्मदपुरा बहादरपुर रोड, बुरहानपुर मध्यप्रदेश 450331 पंजीयन क्रमांक 03-47-02-00064-13 साझेदारी फर्म में श्री वासुदेव अग्रवाल पिता श्री संजय कुमार अग्रवाल, पता 221/2 श्री व्यंकटेश विला, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर मध्यप्रदेश, को दिनांक 01-10-2021 को समस्त भागीदारों की सहमति से नये भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया है. इसके साथ ही सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री वासुदेव इण्डस्ट्रीज की साझेदारी में वर्तमान में अब 1. श्री मोहित अग्रवाल पिता श्री संजय कुमार अग्रवाल 2. श्री राजीव तिरपुडे पिता श्री ताराचंदजी तिरपुडे तथा 3. श्री वासुदेव अग्रवाल पिता श्री संजय कुमार अग्रवाल फर्म के वर्तमान भागीदार रहेंगे, सर्वजन व आमजन सूचित हो.

श्री वासुदेव इण्डस्ट्रीज  
मोहित अग्रवाल  
(पार्टनर).

खसरा नं. 109 ग्राम मोहम्मदपुरा,  
बहादरपुर रोड, बुरहानपुर मध्यप्रदेश.

(G-368)

## जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित हो कि हमारी फर्म मेसर्स पार्श्वनाथ इण्टरप्राइजेस फर्म रजि. नं. 07-37-01-0047-19 पता 63, घांस बाजार, रतलाम के नाम से रजिस्टर्ड है. उक्त भागीदार फर्म की पंजीयन दिनांक 2 अगस्त 2019 को की गई जिसमें भागीदार क्रमशः हेमंत पिता श्री कांतिलाल जी कटारिया व सतीश पिता श्री शांतिलाल जी कोठारी थे.

तत्पश्चात फर्म की संरचना में परिवर्तन करते हुए दिनांक 15 मार्च 2021 को उक्त फर्म की भागीदारी में से भागीदार श्री सतीश कोठारी को पृथक किया गया एवं नये भागीदार के रूप में अरविंद पिता श्री कांतिलाल जी कटारिया को जोड़ा गया.

उपरोक्तानुसार अंतिम संशोधन दिनांक 15 मार्च 2021 से प्रभावशील रहेगा.

**हेमंत कटारिया**

(भागीदार)

मेसर्स पार्श्वनाथ इण्टरप्राइजेस

63, घांस बाजार, रतलाम, मध्यप्रदेश.

(G-369)

## जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे पक्षकार मेसर्स बजरंग इंडस्ट्रीज सेंधवा पंजीकृत भागीदार फर्म है. उक्त फर्म का नाम पूर्व में मेसर्स गोयल उद्योग सेंधवा था तथा उक्त फर्म के पंजीकृत भागीदार 1. किशन पिता फुलचंद गोयल 2. मुरारी पिता फुलचंद गोयल 3. गोविन्द पिता फुलचंद गोयल 4. विमलाबाई पति फुलचंद गोयल थे. उक्त समस्त भागीदारों के द्वारा वर्तमान में दिनांक 01 फरवरी 2022 से भागीदारी फर्म का नाम बदलकर मेसर्स बजरंग इण्डस्ट्रीज सेंधवा कर लिया है तथा पूर्व भागीदारों द्वारा आपसी सहमति से श्रीमती विमलाबाई पति फुलचंद गोयल के चाहने पर उन्हें भागीदारी फर्म से सेवानिवृत्त कर दिया होकर चसार अन्य नवीन भागीदार 1. आशीष पिता फूलचंद गोयल 2. अजय पिता कैलाशचंद्र गोयल 3. सचिन पिता सुभाषचंद गोयल 4. नवीनचंद पिता लख्मीचंद गोयल को जोड़ा गया है. इस तरह उक्त फर्म के वर्तमान भागीदार 1. किशन पिता फुलचंद गोयल 2. मुरारी पिता फुलचंद गोयल 3. गोविन्द पिता फुलचंद गोयल 4. आशीष पिता फुलचंद गोयल 5. अजय पिता कैलाशचंद गोयल 6. सचिन पिता सुभाषचंद गोयल 7. नवीनचंद पिता लख्मीचंद गोयल सभी निवासी सेंधवा हो गए हैं.

इस संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर सूचना प्रकाशन से 07 दिवस के अन्दर अपनी आपत्ति मेरे समक्ष प्रस्तुत करें बिना प्रमाण के अथवा अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी.

**गोविन्द गोयल**

(पार्टनर)

(G-370)

## PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that in the Partnership Firm M/S Pannalal Kankariya & Sons, Registered office at 136 Jaora Compound, Indore (M.P.) and Registration No is 03-27-03-00101-11, dated 29-08-2011, which was constituted vide Partnership deed.

In this partnership firm subsequently following changes have occurred on 01-04-2021, Smt. Urmila Kankariya W/o Shri Prakashchand Kankariya has joined the firm as a new partner.

In this partnership firm subsequently following changes have occurred on 08-11-2021, Shri. Praveen Kankariya S/o Shri Prakashchand Kankariya has voluntarily retired from the Partnership Firm.

Now, Shri Prakashchand Kankariya and Smt. Urmila Kankariya are the running Partners of the firm now both running partners have decided to Correct the Name of the firm from M/s. Pannalal Kankariya (कनकरिया) & Sons. to M/s. Pannalal Kankariya (कांकरिया) & Sons.

FOR: M/S Pannalal Kankariya & Sons  
**Prakashchand Kankariya**  
(Partner)

(G-371)

### NOTICE U/S. 72 OF THE PARTNERSHIP ACT 1932

Notice is hereby given that in the Partnership Firm Shreemaya Bakery, Registered office at 366/2 A.B.(Agra-Bombay) Road, Indore (M.P.) and Registration No is 03-27-01-0394-22 dated 16-02-2022, which was contituted vide Partnership deed executed on 28-09-2004.

In this Partnership firm subsequently following changes have occured, on 01-04-2009, Mast. Siddhant Arora S/o Shri Rakesh Arora has joined the firm as new partner only in profit.

In this Partnership firm subsequently following changes have occured, on 01-10-2019, 1. Shri Mukesh Arora, 2. Shri Madanlal Arora have joined the firm as a new partner and 1. Shri Madanlal Havelaram H.U.F., 2. Shri Rakesh Kumar Madanlal H.U.F. & 3. Mast. Siddhant Arora have voluntarily retired from the Partnership Firm.

In this Partnership firm subsequently following changes have occured, on 01-10-2020, 1. Smt. Geeta Arora W/o Shri Mukesh Kumar & 2. Smt. Payal Arora W/o Shri Rakesh Kumar have voluntarily retired from the Partnership Firm.

Now, 1. Shri Madanlal Arora & 2. Shri Mukesh Arora, are presently Partners in the Partnership firm.

FOR:Shreemaya Bakery,  
**Mukesh Arora**  
(Partner).

(G-372)

**कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन**

उज्जैन, दिनांक 10 जनवरी 2022

**[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत ]**

क्रमांक-परि.-2022-67.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-1969 उज्जैन दिनांक 21-09-2021 द्वारा हरियाली बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित मारूखेडा, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 2167 दिनांक 20-08-2015 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री बी. एल. सोलंकी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-उज्जैन म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 10 जनवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-373)

**[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत ]**

क्रमांक-परि.-2022-68.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-1001 उज्जैन दिनांक 29-06-2021 द्वारा श्री महाकाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित नहारिया, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 2001 दिनांक 01-01-2015 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत डॉ. निधि भदौरिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 10 जनवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-374)

**[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत ]**

क्रमांक-परि.-2022-69.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-1455 उज्जैन दिनांक 31-08-2019 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित भारियाखेडी, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 806 दिनांक 28-07-1988 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत डॉ. निधि भदौरिया सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 10 जनवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-375)

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत ]

क्रमांक-परि.-2022-70.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-1455 उज्जैन दिनांक 31-08-2019 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित धनोडिया,, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 652 दिनांक 13-03-1984 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत डॉ. निधि भदौरिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 जनवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-376)

उज्जैन, दिनांक 25 जनवरी 2022

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत ]

क्रमांक-परि.-2022-177.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2418 उज्जैन दिनांक 07-07-2017 द्वारा आशावरी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित खण्डवासुरा, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1957 दिनांक 22-12-2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री राजेन्द्र वर्मा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-377)

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत ]

क्रमांक-परि.-2022-178.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2417 उज्जैन दिनांक 07-07-2017 द्वारा विनायक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित भैंसलाकलां, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 2199 दिनांक 21-08-2015 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री राजेन्द्र वर्मा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-378)



## [ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत ]

क्रमांक-परि.-2022-179.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2110 उज्जैन, दिनांक 03-06-1991 द्वारा हस्तकरघा बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित बड़नगर, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 410, दिनांक 30-11-1996 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री राजेन्द्र वर्मा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-379)

## [ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत ]

क्रमांक-परि.-2022-180.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-1070 उज्जैन, दिनांक 02-07-2021 द्वारा विकास बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित टंकारियापंथ, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 2130, दिनांक 04-08-2015 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती स्वर्णलता दलाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-380)

## [ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत ]

क्रमांक-परि.-2022-181.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-1707 उज्जैन, दिनांक 4-8-2021 द्वारा सरिता प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित उज्जैन, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1811 दिनांक 31-12-2012 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती स्वर्णलता दलाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-381)

## [ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत ]

क्रमांक-परि.-2022-182.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-1070 उज्जैन, दिनांक 02-07-2021 द्वारा माँ दुर्गा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित लेकोडा, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 2000, दिनांक 01-01-2015 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती स्वर्णलता दलाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-382)

## [ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत ]

क्रमांक-परि.-2022-183.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-974 उज्जैन, दिनांक 24-06-2021 द्वारा श्री देवकृपा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित गोंदिया, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 2109, दिनांक 17-07-2015 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती हेमलता चंदेल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-383)

## [ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत ]

क्रमांक-परि.-2022-184.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-1974 उज्जैन, दिनांक 24-06-2021 द्वारा केसरीनन्दन बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित ताजपुर, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 2044, दिनांक 28-01-2015 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती हेमलता चंदेल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-384)

## [ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत ]

क्रमांक-परि.-2022-185.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-974 उज्जैन दिनांक 24-06-2021 द्वारा सिद्धि विनायक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बोडानी, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 2031 दिनांक 22-01-2015 को को म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती हेमलता चंदेल पद सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला-उज्जैन म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-385)

## [ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत ]

क्रमांक-परिसमापन-2022-186.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-1685 उज्जैन दिनांक 03-08-2021 द्वारा लोकप्रिय बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भैंसलाकलां, तहसील-बड़नगर, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 2211 दिनांक 04-09-2015 को को म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री बी. एस. पटेल पद उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला-उज्जैन म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-386)

## [ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत ]

क्रमांक-परिसमापन-2022-188.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-1684 उज्जैन दिनांक 03-08-2021 द्वारा श्री बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित रूनिजा, तहसील-बड़नगर, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 2269 दिनांक 07-10-2015 को म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री बी. एस. पटेल पद उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला-उज्जैन म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-387)

## [ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत ]

क्रमांक-परिसमापन-2022-189.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-739 उज्जैन दिनांक 08-03-2016 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित झिरमिरा, तहसील-खाचरौद, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1939 दिनांक 12-12-2014 को म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री बी. एस. पटेल पद उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला-उज्जैन म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-388)

## [ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत ]

क्रमांक-परिसमापन-2022-190.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-1689 उज्जैन दिनांक 03-08-2021 द्वारा महाकाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित पलसोडा, तहसील-बड़नगर, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 2212 दिनांक 04-09-2015 को म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री बी. एस. पटेल पद उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला-उज्जैन म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-389)

## [ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत ]

क्रमांक-परिसमापन-2022-191.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-1687 उज्जैन दिनांक 03-08-2021 द्वारा धनलक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित इंगोरिया, तहसील-बड़नगर, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 2200 दिनांक 21-08-2015 को म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री बी. एस. पटेल पद उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला-उज्जैन म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-390)

## [ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत ]

क्रमांक-परिसमापन-2022-192.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-269 उज्जैन दिनांक 18-02-2019 द्वारा कस्तूरी परस्पर साख सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 147 दिनांक 22-02-2011 को म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एन. पी. बहोरे पद सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला-उज्जैन म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-391)

## [ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत ]

क्रमांक-परि.-2022-193.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-978 उज्जैन दिनांक 25-06-2021 द्वारा बजरंग बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित किठोरा, उज्जैन, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1952 दिनांक 22-12-2014 को म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एन. पी. बहोरे पद सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला-उज्जैन म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-392)

उज्जैन, दिनांक 18 जनवरी 2022

## [ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क/ग) के अंतर्गत ]

क्रमांक-परि.-2022-125.—इस कार्यालय द्वारा म. प्र. सहकारी संस्थाएँ, अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न म. प्र. सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जायें:—

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (3)
1	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित भीलखेड़ा, घट्टिया	DR/UJN/2257/05-10-2015

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का संस्था के पदाधिकारी द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। कार्यालय द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु मध्यप्रदेश राज्य सहकारी प्राधिकारी भोपाल द्वारा निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि दुग्ध संघ, उज्जैन के पर्यवेक्षक द्वारा लिखित में जो पत्र दिया वह प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार संस्था अकार्यशील होकर बंद है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला-उज्जैन म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क/ग) एवं म. प्र. शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ, तथा अधिनियम की धारा 70(1) के

अन्तर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का संपूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :—

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्र./दिनांक (3)	परिसमापक का नाम/पद (4)
1	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित भीलखेड़ा घट्टिया	DR/UJN/2257/05-10-2015	श्री संतोष सांखलिया, (सहकारी निरीक्षक)

यह आदेश आज दिनांक 18 जनवरी 2022 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-393)

उज्जैन, दिनांक 17 अगस्त 2021

### संशोधित आदेश

क्रमांक-परि.-2021-1793.—परिसमापित सहकारी संस्था के सम्बन्ध में पूर्व में प्रसारित कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2020/116, उज्जैन दिनांक 15-01-2020 में आंशिक संशोधन करते हुए मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला उज्जैन, म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) तथा म. प्र. शासन, सहकारिता विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26-07-1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, विजय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन, में कॉलम क्रमांक 5 में अंकित परिसमापक के स्थान पर कॉलम क्र. (6) में अंकित अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

क्र.	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्र./दिनांक (3)	परिसमापन आदेश क्र./दिनांक (4)	पूर्व परिसमापक का नाम व पद (5)	वर्तमान परिसमापक का नाम व पद (6)
1	विजय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन.	DR/UJN/112/2 6-06-1960	1454/31-08-2019	श्री मुकेश जोशी (सहकारी निरीक्षक)	श्री आर.एस. सोलंकी (वरि. सहकारी निरीक्षक).

यह आदेश आज दिनांक 17 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक.

(G-394)

### कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खण्डवा, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश

प्रारूप-चार

[ मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2), एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम 1962, के नियम 5 (1), के अन्तर्गत ]

खण्डवा, दिनांक 31 जनवरी 2021 को जारी

प्र. क्र. -0002-बी-113(1)/2020-21.—जैसा कि श्री करण चौहान पिता छितरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सिहाड़ा तहसील एवं जिला खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951, की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 14 जनवरी 2022 को विचार किया जाएगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है. और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अधिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

### अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता

“श्री जूना राम मंदिर ट्रस्ट सिहाड़ा” तहसील एवं जिला खण्डवा

चल सम्पत्ति—

निरंक.

अचल सम्पत्ति—

आबादी में 30×30=900 वर्गफीट पर मंदिर बना है. मंदिर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में. 30×40=1200 वर्गफीट खाली जगह.

अरविंद कुमार चौहान, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक.

(G-395)

### कार्यालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड-जावरा, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

जावरा, दिनांक 03 फरवरी 2022

फार्म-4

[ नियम 5(1) देखिए ]

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) के तहत ]

क्रमांक 525-रीडर-1-21.—आवेदक भूपेंद्र कुमार पिता शांतिलाल डांगी द्वारा धारा 4(2) म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट 1951 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी सुनवाई दिनांक 17 मार्च 2022 को उपखण्ड कार्यालय जावरा पर दोप. 02:30 बजे की जावेगी.

अतः जिस किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 17 मार्च 2022 को इस न्यायालय में अपना लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता के द्वारा नियत समय पर उपस्थित हों. निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा.

### पब्लिक ट्रस्ट का नाम पता तथा सम्पत्ति का विवरण

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| (1) न्यास का पूरा नाम—     | श्री रतनलाल डांगी पारिवारिक चौरिटीबल ट्रस्ट |
| (2) चल सम्पत्ति का विवरण—  | 2000/- (दो हजार रुपए)                       |
| (3) अचल सम्पत्ति का विवरण— | निरंक.                                      |

हिमांशु प्रजापति, अनुविभागीय अधिकारी.

(G-396)

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनुभाग, (मल्हारगंज) इन्दौर, मध्यप्रदेश

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 तीस (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत ]

आवेदिका श्रीमती गायत्री पति सुबोध शर्मा पता-176, भवानी नगर सांवेर, इंदौर (म. प्र.) तर्फे “आर्य चेतना धर्मार्थ लोक सेवा ट्रस्ट” पता-सिलिकॉन एकेडमी बालाजी विहार शांती नगर, इंदौर म. प्र. के पंजीयन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र ट्रस्ट डीड की प्रति एवं निर्धारित

शुल्क रुपये 5/- का चालान क्रमांक 051/9999999-0070-01-22-009380, दिनांक 18 जनवरी 2022 प्रस्तुत किया गया है. चल सम्पत्ति 5,000/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार मात्र) तथा अचल सम्पत्ति निरंक है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस कार्यालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

### परिशिष्ट

#### पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण

ट्रस्ट का नाम—	“आर्य चेतना धर्मार्थ लोक सेवा ट्रस्ट”
पता—	सिलिकॉन एकेडमी बालाजी विहार शांती नगर, इंदौर, म. प्र.
चल सम्पत्ति—	5,000/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार मात्र)
अचल सम्पत्ति—	निरंक है.
आज दिनांक . . . . . 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.	

मनीष सिंह सिकरवार, रजिस्ट्रार.

(G-397)

न्यायालय, पंजीयक लोकन्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग गोरखपुर, जबलपुर

#### प्रारूप-4

[ सूचना-पत्र नियम-5(1) देखिए ]

[ म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) एवं म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5(1) के अंतर्गत ]

राज. प्रक. क्रमांक -01-बी-113(4)2021-22.—चूंकि, आवेदक, श्री संजय अग्रवाल पिता श्री आर. पी. अग्रवाल, निवासी रामेश्वरम पत्रकार कॉलोनी, रानीताल चौक, जबलपुर के द्वारा श्री राजीव लोचनम ट्रस्ट साकेत धाम ग्वारीघाट, जिला जबलपुर द्वारा न्यास पंजीयन हेतु म. प्र. लोकन्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति लोक न्यास की तहत् विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतः एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संधारित प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 17-3-2022 को विचार के लिए नियत है. कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाषक या अधिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/दावों/सुझावों पर कोई विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जावेगा :—



## अनुसूची

( लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण एवं लोक न्यास का नाम और पता )

1. लोक न्यास का नाम व पता:— श्री राजीव लोचनम ट्रस्ट साकेत धाम ग्वारीघाट, जिला जबलपुर.
2. स्थावर संपत्ति:—ग्राम ग्वारीघाट नं. ब. 603 प.ह.न. 08 आर.आई., सर्किल 1 जबलपुर खसरा नं. 119/1, 119/2, 120/2, 121/2, 120/2/1, 120/2/2 रकबा 0.050, 0.043, 0.390, 0.010, 0.247 एवं 0.050 हेक्टर, ग्राम भटौली प.ह.नं. 16 आर.आई. सर्किल 2, जबलपुर खसरा नं. 45, 48 एवं 49 रकबा 0.906, 1.011 एवं 0.789 हेक्टर ग्राम घुघरी, प.ह.न. 83 आर.आई. सर्किल खमारिया, जबलपुर खसरा नं. 5 एवं 6 रकबा 1.73 एवं 1.48 हेक्टर, प्लॉट नं. 8 से 10 खसरा नं. 74 से 78 कुल एरिया 643.38 वर्गगज ग्राम राजपुर बांगर वृंदा वाटिका अवसिया कॉलोनी, तह. एवं जिला मथुरा (उ. प्र.). प्लॉट नं. 11 से 15, खसरा नं. 74 से 78 कुल एरिया 1083.33 वर्गगज ग्राम राजपुर बांगर वृंदा वाटिका अवसिया कॉलोनी, तह. एवं जिला मथुरा (उ. प्र.). प्लॉट नं. 01 से 05, 16 से 20, खसरा नं. 74 से 78 कुल एरिया 50 वर्गगज ग्राम राजपुर बांगर वृंदा वाटिका अवसिया कॉलोनी, तह. एवं जिला मथुरा (उ. प्र.). प्लॉट नं. 04, प्रथम तल एरिया 47.66 वर्गमीटर प्लॉट नं. 28 से 30 खसरा नं. 74, ग्राम राजपुर बांगर वृंदा वाटिका कॉलोनी, तह. एवं जिला मथुरा (उ. प्र.).
3. चल संपत्ति:—फर्नीचर, मोटर सायकल, फ्रीज, कूलर, पंखें एयर कंडीशन, इनोवा कार, हांडा सिटी कार, पजीरो स्पोर्ट कार, मारुति कार, सी.सी.टी.वी. इन्वर्टर, कम्प्यूटर, चाँदी, सभी की कुल कीमत 31,41,883/-.

जारी दिनांक 15-2-2022

पेशी दिनांक 17-3-2022.

दिव्या अवस्थी, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(G-398)

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च 2022—फाल्गुन 20, शक 1943

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)